प्रेस नोट- थाना जलालाबाद

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक- 15.05.2026

थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, कूटरचना एवं शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी जलालाबाद के नेतृत्व में थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-11.05.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193/2026 धारा 69/318(4)/319(2)/336(3)/340(2) बीएनएस बनाम सचिन शर्मा पुत्र सूर्य प्रकाश निवासी ग्राम खड़ऊआ, थाना सी0बी0गंज, जनपद बरेली के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियोग में आरोप है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी को अपना गलत नाम-पता एवं गलत पद बताकर स्वयं को सरकारी अधिकारी बताया गया तथा वादिनी एवं उसके परिवारीजनों को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर लगभग 30 लाख रुपये एवं जेवरात प्राप्त कर धोखाधड़ी की गई। साथ ही वादिनी की बैंक की नौकरी छुड़वाकर कूटरचित ज्वाइनिंग लेटर एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए तथा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए । घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगणों के आदेश-निर्देशों के अनुपालन में थाना स्थानीय पर पुलिस टीम गठित की गई। गठित पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 15.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सचिन शर्मा उपरोक्त को अतिवरा गंगा एक्सप्रेस-वे पुल के नीचे से समय करीब 04:05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद ब्लैंक चेक एचडीएफसी बैंक, 01 अदद रबर मुहर, 01 अदद ज्वाइनिंग लेटर (RBI), 01 अदद अपॉइंटमेंट पत्र, 01 अदद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पत्र, 07 अदद ऑफर लेटर, 04 अदद पोस्ट अलॉटमेंट पत्र, 02 अदद आधार कार्ड, 02 अदद नोटरी शपथ पत्र, 01 अदद शादी कार्ड, 01 अदद चेकबुक एक्सिस बैंक, 01 अदद रेलवे टिकट, जामा तलाशी से 630 रुपये नकद एवं 02 अदद डेबिट कार्ड बरामद किए गए। उक्त प्रकरण में थाना स्थानीय पर पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0 193/2026 में बरामदगी के आधार पर धारा 338 बीएनएस एवं 66(D) आईटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सचिन शर्मा पुत्र सूर्य प्रकाश निवासी ग्राम खडौआ थाना सी0वी गंज जनपद बरेली (उम्र करीब 31 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 193/26 धारा 69/318 (4)/319(2)/336(3)/338/340(2) BNS व 66 (डी) IT ACT

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अदद मोबाइल फोन (सैमसंग गैलेक्सी एस 25 अल्ट्रा, रेडमी 13 C)
2. 01 अदद ब्लैंक चैक HDFC बैंक,
3. 01 अदद चेकबुक एक्सिस बैंक
4. 01 अदद मुहर रबर सिचाई एवं जल संसाधन विभाग (उत्तर प्रदेश सरकार)
5. 01 अदद ज्वॉइनिग लेटर RBI,
6. 01 अदद अपॉइमेंट पत्र भारतीय रिजर्व बैंक

7. 01 अदद डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन पत्र
8. 07 अदद ऑफर लेटर
9. 04 अदद पोस्ट अलॉटमेंट पत्र,
10. 02 अदद आधार कार्ड
11. 02 अदद नोटरी शपथ पत्र
12. 01 अदद शादी कार्ड
13. 01 अदद रेलवे टिकट,
14. 02 अदद डेबिट कार्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द सिंह चौहान थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
2. अपराध निरीक्षक श्री रविशंकर यादव थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
3. व0उ0नि0 सकतावत सिह थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2791 अंकित कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 1976 रोहित कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर